राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम

कार्यालय मुख्य प्रबन्धक, केन्द्रीय बस स्टैण्ड,जयपुर।

क्रमांक :– सी.बी.एस / वित्त / केन्टिन / 19 / 409 **दिनांक :–25.02.19**

श्रीमान उपमहा प्रबन्धक (आई.टी.)
राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम,
मुख्यालय,जयपुर।

विषयः– राज्य लोक उपापन पोर्टल पर निविदा प्रकाशन करवाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि केन्द्रीय बस स्टैण्ड, सिन्धी केम्प, जयपुर पर विभिन्न स्टॉल / केन्टीनो के लिये लाईसेन्सी नियुक्त किया जाना है।

दिनांक 13 / 03 / 2019 को निविदाऐं आमंत्रित करने हेतु निविदा प्रपत्र, निविदा फॉर्म एवं निविदा शर्त पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है कृपया उक्त सूचना का नियमानुसार राज्य लोक उपापन पोर्टल एवम् निगम बेव–साईट पर प्रकाशन कराने एवं प्रकाशन पश्चात आवंटित Unique Bid Number (UBN) से इस कार्यालय को अवगत करवाने का श्रम करावे।

(कैलाश बड़ाया)
मुख्य प्रबन्धक,सी.बी.एस आगार,जयपुर।

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम

कार्यालय मुख्य प्रबन्धक, केन्द्रीय बस स्टैण्ड,जयपुर।

निविदा–सूचना

निगम के केन्द्रीय बस स्टैण्ड सिन्धी कैम्प जयपुर पर निम्नलिखित प्लेटफार्म पर सुलभ शौचालय, स्टालों/केन्टीनों हेतु लाईसेन्सी एवम् अजमेर–जयपुर मार्ग दूदू पर यात्री जलपान हेतु वाहन ठहराव हेतु होटल ढ़ाबा अनुबन्धित किया जाना है:–

क्र. सं.	प्लेटफार्म नम्बर	स्टाल प्रकृति	साईज वर्ग फीट	धरोहर राशि	अनुमानित वार्षिक आय
01	सुलभ कॉम्पलेक्स प्लेटफार्म नं.03	शौचालय/मुत्रालय	-	20,000	12,80000
02	सुलभ कॉम्पलेक्स प्लेटफार्म नं.05	शौचालय/मुत्रालय	-	20,000	16,50000
03	प्लेटफार्म नं.03	भोजनालय एवम् रेस्टोरेन्ट, स्वीट्स, फास्ट फूड सेन्टर, ठंडा पैक्ड पानी, आईसक्रीम, शेक, ज्यूस, लस्सी, कोल्ड ड्रिक्स व अन्य पेय पदार्थ	18x21	50,000	18,00000
04	प्लेटफार्म नं.03	जनरल स्टोर, कोल्ड ड्रिक एवम् पैक्ड पानी, आईसक्रीम	18x10	50,000	06,00000
05	अजमेर–जयपुर मार्ग दूदू पर वाहन ठहराव हेतु होटल ढ़ाबा	यात्रियों के लिए जलपान हेतु वाहन ठहराव स्थल	-	5,000	3,00000

निविदा प्रपत्र एवम् शर्तो के लिए निर्धारित राशि रू. 200/– नकद जमा करवाकर निम्नहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय से कार्यालय समय में प्राप्त कर सकते है। इच्छुक व्यक्ति/संस्था अपने प्रस्ताव दिनांक 12/03/2019 को समय सांय 5.00 बजे तक प्राप्त कर सकते है निविदा दिनांक 13/03/2019 को समय दोपहर 02.00 बजे तक प्राप्त की जावेगी एवम् उसी दिन समय दोपहर 3.00 बजे उपस्थित निविदा दाताओं के समक्ष खोली जायेगी।

निविदा प्रपत्र के साथ निर्धारित धरोहर राशि नकद अथवा डी.डी./बैकर्स चैक, सी.एम. सी.बी.एस आगार, जयपुर के नाम से जमा करवानी होगी। धरोहर राशि के बिना प्रस्ताव मान्य नहीं होगा। किसी भी प्रस्ताव को बिना कारण बताये अस्वीकार किया जा सकता है।

(कैलाश बड़ाया)
मुख्य प्रबन्धक,सी.बी.एस आगार।

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम,सी.बी.एस आगार,जयपुर।

(यह प्रपत्र अहस्तानतरणीय है तथा जिसके पक्ष में यह जारी किया गया जावें, उसी के प्रयोजनार्थ हैं)

केन्द्रीय बस स्टैण्ड जयपुर पर स्टाल आवंटन हेतु
अस्थाई रूप से लाईसेन्सधारी नियुक्त करने के सम्बन्ध में।

निविदा–प्रपत्र

निविदा प्रपत्र संख्याः– एफ/मु.प्र./ /20 /
दिनांक :–

निविदा प्रपत्र हेतु राशि जमा रूपयें :– 200 रू./–
अक्षरे :– दौ सौ रूपये मात्र
नकद/रसीद संख्या :–
दिनांक :–

मुख्य प्रबन्धक सी.बी.एस आगार

01	फर्म/व्यक्ति का नाम व पूर्ण पता	:–	
02	टेलीफोन नम्बर/मोबाइल नं.		
	कार्यालय	:–	
	निवास	:–	
03	टेलेक्स/फैक्स नम्बर	:–	
04	व्यावसायिक अनुभव व उसका विवरण	:–	
05	धरोहर राशि	:–	
06	धरोहर राशि का निगम कोष में राशि जमा रसीद संख्या/ड्राफ्ट/बैकर्स चैक नम्बर	:–	
	दिनांक	:–	
07	देय लाईसेंस शुल्क राशि रूपये		
	राशि प्रतिमाह रूपये	:–	
	शब्दों में	:–	
08	निगम में अन्य स्टैण्ड पर पूर्व में स्टाल/बूथ का आवंटन हुआ है तो उसका पूर्ण विवरण।		
09	निविदादाता का जिस बैंक में खाता है उसका नाम	:–	
	बैक में खाता नम्बर		
010	निविदादाता की चल व अचल सम्पत्ति का विवरण सत्यापित प्रति सहित	:–	
11	अन्य आवश्यक विवरणः– पहचान पत्र, पेन नम्बर, एवम् एक फोटो खुली निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करनी है। इसके बिना फार्म स्वीकर नहीं किया जावेगा।	:–	

हस्ताक्षर निविदादाता
मय पद/हैसियत/मोहर सहित

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम,जयपुर।

निविदा–शर्ते

निविदा शुल्क :– **200 सौ रूपए मात्र (दौ सौ रूपए मात्र)**
निविदा दिनांक :– ....
निविदा प्राप्ति समय :– **14.00 बजे।**
निविदा खोलने का समय :– **15.00 बजे।**

स्टाल आवंटन/संचालन की निविदा शर्ते निम्न हैः–

1. निगम परिसर में दुकान/स्टाल/बूथ/खाली स्थान अस्थाई लाईसेंस पर प्रथमतः एक वर्ष के लिये दी जावेगी। एक वर्ष की अवधि समाप्ति पर लाईसेन्सी के विरूद्ध कोई राशि बकाया नहीं होने/सन्तोषजनक सेवाये रहने पर लाईसेन्स फीस में 10 चक्रवृति दर से वृद्धि करते हुए नवीनीकरण किया जा सकेगा। जिन स्टालों की मासिक लाईसेंस फीस 50,000/– रूपये से कम है, उन स्टालों का लाईसेंस नवीनीकरण अधिकतम तीन वर्ष तक व जिन स्टालों के मासिक लाईसेंस फीस 50,000/– रूपये अथवा उससे अधिक होने पर उन स्टालों का लाईसेंस नवीनीकरण अधिकतम पॉच वर्ष तक की अवधि के लिए किया जा सकेगा। उक्त लाईसेंस अवधि समाप्ति के दो माह पूर्व पुनः खुली निविदा आमंत्रित कर नये उच्चतम निविदादाता को दिशा निर्देशानुसार समय पर स्टाल आवंटन की कार्यवाही की जा सकेगी। अनुज्ञा की अवधि समाप्ति पर लाईसेन्सी द्वारा स्वतः ही बिना सूचना/नोटिस प्राप्त हुए निगम को दुकान/स्टाल/बूथ खाली कर कब्जा सम्भलाना पड़ेगा। लाईसेन्सी द्वारा किसी न्यायालय में निगम के विरूद्ध वाद दायर नही किया जा सकेगा।
2. लाईसेन्स पर दुकान/स्टाल/बूथ/खाली स्थान लेने हेतु लाईसेन्सी को एक सौ रूपए के भारतीय गैर न्यायायिक स्टाम्प पर निर्धारित शर्तो के अनुरूप लिखित में अनुबन्ध करना होगा।
3. लाईसेन्स पर दी गई दुकान/स्टाल/बूथ पर व्यवसाय करने हेतु केवल नीचे दी गई सामग्री का ही बेचान किया जा सकेगा इसके अतिरिक्त अन्य कोई सामान का बेचान नही किया जायेगा :–

   नोटः– जिस स्टॉल हेतु आवेदन किया जा रहा है उसके अनुरूप स्वीकृत साम्रगी का ही इन्द्राज करे।

   1. ....
   2. ....
   3. ....
4. निविदा पत्र के साथ धरोहर राशि ..../– रूपये (अक्षरे .... रूपये मात्र) का बैक ड्राफ्ट/बैकर्स चैक/नकद जमाओं की रसीद संलग्न करनी होगी। लाईसेन्स आवंटित होने पर लाईसेन्सी को दस दिवस में तीन माह की लाईसेन्स फीस के बराबर सुरक्षा राशि की डी.डी/बैंकस चैक/नगद निगम कोष में जमा करानी होगी। उक्त धरोहर एवम् सुरक्षा राशि बिना ब्याज के लाईसेन्स अवधि समाप्ति तक निगम कोष में जमा रहेगी। लाईसेन्सी द्वारा लाईसेन्स जारी होने के तीस दिवस के अन्दर व्यवसाय आरम्भ नहीं करने पर धरोहर राशि एवम् सुरक्षा राशि जब्त कर लाईसेन्स रद्द कर दिया जावेगा व द्वितीय उच्चतम निविदादाता को अथवा पुनः निविदा कर लाईसेन्स आवंटन किया जा सकेगा।
5. लाईसेंसधारी, स्टॉल आवंटन के पश्चात स्वयं के खर्चे पर आवंटित स्थान पर सुव्यस्थित रूप से कियोस्क का निर्माण करेगा। निर्माण पूर्व स्टाल निर्माण के प्रारूप का अनुमोदन करवाना लाईसेन्सधारी के लिए अनिवार्य होगा। यदि स्टाल बनी हुयी है तो उसे व्यवस्थित करेगा, लाईसेन्सधारी का दायित्व होगा कि आवंटित स्टॉल को इस प्रकार से व्यवस्थित कर संचालित करे, जिससे प्लेटफार्म की सुन्दरता बनी रही। इस कार्य हेतु किये गए व्यय का निगम द्वारा किसी भी प्रकार से पुनःभरण नही किया जावेगा। स्टॉल को सुव्यवस्थित करने के पश्चात् ही व्यवसाय प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की जावेगी।
6. निगम को अनुबन्ध समाप्ति दिनांक से पूर्व आवंटित दुकान/स्टाल/खाली स्थान की आवश्यकता होने पर लाईसेन्सी को 24 घन्टे के भीतर स्वयं के खर्चे पर पुरानी जगह से सामान उठाकर वैकल्पिक अन्य नये स्थान पर ले जावेगा। वैकल्पिक अन्य स्थान की उपलब्धता एवम् उसकी व्यवसायिक उपयोगिता को दृष्टिगत रखते हुए उसकी नवीन लाईसेन्स दरों के प्रस्ताव आगार स्तरीय समिति द्वारा किया जावेगा तथा नये स्थान पर आवंटन के लिए पूर्व ऐसे लाईसेन्सी को प्राथमिकता दी जावेगी। यदि नवीन लाईसेन्सी शुल्क/दरों के लिए पूर्व लाईसेन्सी सहमत न हो तो ऐसी दशा में उसकी स्थान परिवर्तन के आधार पर प्राथमिकता समाप्त कर दी जावेगी एवम् नये स्थान का लाईसेन्स भी निर्धारित प्रक्रिया से निविदायें आमन्त्रित कर आवंटन किया जावेगा। ऐसी स्थिति में यदि लाईसेन्सी उचित समझे तो एक माह का नोटिस देकर बिना किसी उत्तरदायित्व के लाईसेन्स समाप्त करा सकेगा।
7. लाईसेन्सी मासिक लाईसेन्स फीस के प्रतिवर्ष (वर्ष आवंटन दिनांक से माना जावेगा)12 अग्रिम पोस्ट डेटेड़ चैक जो प्रत्येक माह की 07 तारीख को देय होगे,देगा। माह की 07 तारीख तक लाईसेन्स फीस जमा नहीं कराने पर अथवा लाईसेन्स की किसी शर्ते का पालन करने में असमर्थ रहने पर आगारीय समिति 48 घन्टे का नोटिस जारी कर लाईसेन्स निरस्त कर सकेगी। लाईसेन्स निरस्त करने/वापिस किये जाने पर लाईसेन्सी निगम परिसर को 24 घन्टे में खाली कर उसका कब्जा निगम के सक्षम अधिकारी को देगा। ऐसा नहीं किये जाने पर निगम के सक्षम अधिकारी दुकान में प्रवेश कर दुकान/स्टाल का कब्जा ले लेगा और स्टाल के ताला लगा दिया जावेगा।
8. लाईसेंसी स्वंय के खर्चे पर सम्बन्धित विभाग के बिजली व पानी का कनेक्शन प्राप्त करेगा तथा उसका स्वयं भुगतान वहन करेगा। अनुबन्ध समाप्त होने पर आगारीय समिति सम्बन्धित विभाग को कनेक्शन बन्द करने के लिए सूचित करेगा।

9. आवंटित दुकान/खाली स्थान पर लाईसेन्सी मादक पदार्थ जैसे शराब, बीयर, अफीम, गांजा, चरस व सरकार द्वारा प्रतिबन्धित पदार्थ न तो रखेगा न ही बेचेगा।
10. लाईसेन्सी अपना व्यवसाय आवंटित स्थान सीमा में ही कर सकेगा।
11. लाईसेन्सी विक्रय किये जाने वाले पदार्थों की मूल्य सूची आगारीय समिति से अनुमोदन कराकर दुकानदार/स्टाल पर लगायेगा, जिसे यात्री सुगमता से पढ़ सके। लाईसेन्सी आवंटित दुकान/स्टाल में किसी तरह का परिर्वतन/मरम्मत नहीं करा सकेगा।
12. निगम द्वारा लाईसेन्सी को 24 घन्टे का लिखित नोटिस देकर लाईसेन्स को निरस्त करने का अधिकार होगा जिसके लिए कारण का उल्लेख किया जाना आवश्यक नहीं होगा।
13. यदि लाईसेन्सी स्वयं अपना लाईसेन्स चालू नही रखना चाहे तो उसे कम से कम तीन माह पूर्व उसकी सूचना आगार प्रभारी को प्रस्तुत करनी होगी। तीन माह का नोटिस दिये बिना व्यवसाय बन्द करने पर उसकी पूर्व में जमा सुरक्षा एवम् धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी।
14. दुकान/स्टाल/बूथ का लिया गया लाईसेन्स अहस्तान्तरित योग्य होगा व सबलेट नहीं किया जा सकेगा।
15. अनुबंध के क्रियान्वयन शर्तो एवं अनुबंध के निर्विचन के संबंध में दोनों पक्षों के बीच यदि किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न हो जाता है तो मामले के निपटारे के लिये परिवहन निगम के अध्यक्ष एकमात्र पंच निर्णायक होंगे। जिनका निर्णय अंतिम व दोनों पक्षों को मान्य होगा। कोई भी पक्ष मामले/विवाद को पंच निर्णय के लिए प्रस्तुत किये बिना एवं उस पर निर्णय/पंचाट पारित हुए बिना कोई वाद किसी भी न्यायालय में नहीं ले जा सकेंगे। उक्त दोनों पक्ष यह जानते है कि अध्यक्ष निगम के अधिकारी है एवं उनको ही एकल पंच निर्णायक के लिए सहमति व्यक्त करते है। पंच निर्णायक/न्यायालय का कार्य क्षैत्र/कार्य स्थल जयपुर होगा।
16. लाईसेन्सी के विरूद्ध किसी भी तरह की बकाया राशि होने की स्थिति में उसकी जमा सुरक्षा राशि में से राशि समायोजित कर ली जावेगी, जो लाईसेन्सी द्वारा दो दिवस में बैक ड्राफ्ट द्वारा पुनः निगम कोष में जमा करानी होगी। ऐसे नहीं करने पर आगारीय समिति लाईसेन्स निरस्त कर धरोहर राशि जब्त कर अन्य योग्य फर्म को लाईसेन्स दे दिया जावेगा।
17. लाईसेन्सी द्वारा निगम से समय–समय पर जारी आदेश/शर्तों का पालन किया जावेगा अन्यथ आगारीय कमेटी को लाईसेन्स निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा। इससे होने वाली हानि के लिए लाईसेन्सी स्वय जिम्मेदार होगा।
18. दुकान/स्टाल/बूथ पर पूर्ण गुणवत्ता पदार्थों का ही विक्रय किया जायेगा।
19. लाईसेन्सी द्वारा किये जा रहे व्यवसाय पर सरकार द्वारा कोई कर आदि का निर्धारण किया जाता है तो वह लाईसेन्सी द्वारा सीधे सम्बन्धित विभाग में जमा कराया जावेगा।
20. यात्रियों की सुविधा के मध्यनजर रखते हुए निगम को पूर्ण अधिकार होगा कि लाईसेन्सधारी के अलावा उसी आईटम का लाईसेन्स उसी प्लेटफार्म पर अन्य फर्म को जारी कर सकेगा। लाईसेन्सधारी को इस बारे में किसी तरह का एतराज उठाने का अधिकार नहीं होगा।
21. यदि निविदादाता के निविदा प्रस्ताव स्वीकार कर लिये जाते है तो निविदादाता को लाईसेन्स प्राप्त करने से पूर्व निम्नलिखित प्रपत्र मुख्य प्रबन्धक के कार्यालय में प्रस्तुत करने होगें।
    1. निविदादाता के नाम पर जो भी चल एवम् अचल सम्पत्ति है उनके प्रपत्रों की प्रमाणित छाया–प्रति अथवा स्वयं के नाम पर कोई चल व अचल सम्पत्ति नहीं है तो उसके गारन्टर की आय एवम् अचल सम्पत्ति के प्रपत्रों की प्रमाणित छाया प्रति।
    2. निविदादाता के नाम पते के दस्तावेज की प्रमाणित प्रति (पुष्टि में मतदाता परिचय पत्र/वर्तमान ड्राईविंग लाईसेन्स की प्रमाणित प्रति,पैन कार्ड, आधार कार्ड, इनकम टैक्स रिर्टन की प्रमाणित छायाप्रति)
    3. निविदादाता अथवा निविदादाता के गारन्टर को 100/– रूपए के भारतीय गैर न्यायिक स्टाम्प पर यह शपथ पत्र भी देना होगा की जब तक वह निगम का लाईसेन्सी रहेगा तब तक बिना निगम अनुमति के वह अपनी चल अचल सम्पत्ति का विक्रय नहीं करेगा।
       यह शपथ पत्र नोटरी पब्लिक ओथोरिटी द्वारा सत्यापित होगा।
22. निविदा–प्रस्ताव सीलबन्द लिफाफे में प्रेषित किये जावेंगें।
23. निविदा प्रस्ताव सरल एवम् शुद्ध भाषा में होंगें तथा किसी प्रकार की काट–छांट ना हो। प्रस्ताव पर संस्थान के मालिक/अधिकृत व्यक्ति के स्पष्ट हस्ताक्षर होने चाहिए तथा यह भी स्पष्ट किया जाना चाहिए कि हस्ताक्षरकर्ता मालिक है या पार्टनर/अधिकृत व्यक्ति अपना पद व हैसियत भी लिखें।
24. निविदादाता द्वारा दिये गये कोई भी सशर्त प्रस्ताव निगम द्वारा स्वीकार नहीं होंगे।
25. यदि किसी भी संस्थान/व्यक्ति फर्म के विरूद्ध निगम की राशि बकाया/विचाराधीन है तो उसके प्रस्ताव को अस्वीकार करने का अधिकार निगम को होगा।
26. संलग्न धोषणा–पत्र को भरकर निविदा प्रस्ताव प्रपत्र के साथ संलग्न करें।
27. केन्द्र/राज्य सरकार के कर्मचारी, केन्द्र एवम् राज्य सरकार के उपक्रमों के कर्मचारियों एवम् राजस्थान परिवहन निगम के कर्मचारी एवम् उनके आश्रित पारिवारिक सदस्यों को स्टैण्ड पर स्टाल का आवंटन नहीं किया जा सकेगा।
28. लाईसेन्सधारी उसके द्वारा देय लाईसेन्स फीस के अलावा जी.एस.टी. एवम् उन समस्त करों को तथा अन्य फीस को जो भी किसी सरकारी विभाग अथवा स्थानीय निकाय को देय हो आदि का भुगतान नियमानुसार समय पर करेगा।

29. फर्म जिसके पक्ष में लाईसेन्स जारी किया गया है उसका यह दायित्व होगा कि लाईसेन्स फीस का भुगतान उस दिनांक से करें जिस दिनांक को उसका प्रस्ताव स्वीकार किया गया है तथा लाईसेन्स फीस जमा नहीं करवाने पर प्रतिदिन 50/-रूपए अथवा चैक राशि का 1 प्रतिशत जो भी अधिक हो की दर से शास्ति राशि जमा करवानी होगी।
30. सिन्धी कैम्प परिसर में निगम प्रशासन द्वारा लाईसेन्सी को 24 घंटे का लिखित नोटिस देकर स्थान खाली करवाते हुए लाईसेन्स निरस्त कर सकता है एवम् इसके लिए लाईसेन्सी किसी भी न्यायालय में किसी भी प्रकार का वाद दायर करने का अधिकार नहीं होगा।
31. लाईसेंसधारी को स्वयं के व्यय पर 2 सी.सी.टी.वी. कैमरे (विथ साउण्ड रिकार्डर) प्रथम कैश काउन्टर व दुसरा बाहर रास्ते की ओर लगा हुआ हो, जिसका बैकअप एक माह तक रक्षित रखना अनिवार्य होगा।

मैने उपरोक्त शर्तों को पढ़कर, समझकर,सुनकर मैने हस्ताक्षर किये है। उक्त शर्ते मुझे मुझे पूर्णतया स्वीकार है।

(निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर)

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम
कार्यालय मुख्य प्रबन्धक, केन्द्रीय बस स्टैण्ड,जयपुर।

घोषणा–पत्र

निविदादाता द्वारा इस घोषणा पत्र को भरकर हस्ताक्षर किया जाना अनिवार्य है।

1. मैं/हम निगम कोष में जमा रसीद संख्या/डी.डी.संख्या/ बैकर्स चैक संख्या .... दिनांक .... राशि .... रूपये .... जो कि CM CBS JAIPUR के नाम देय है, संलग्न कर रहे है/कर दिया है।
2. मै/हमने निगम की समस्त शर्तो को सावधानीपूर्वक पढ़ लिया/सुन लिया है तथा इन सभी शर्तों की पालना करने का वचन देता हूँ/देते है। हमारा प्रस्ताव निगम द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है तो मैं/हम निगम के साथ लाईसेन्सी आधार पर अनुबन्ध पर हस्ताक्षर कर दूंगी/देगें।
3. मैं/हम घोषणा करता/करते है कि मैने/हमने जो प्रस्ताव किये है उसमें किसी अन्य संस्थान का कोई सरोकार नहीं है तथा यह प्रस्ताव किसी अन्य व्यक्ति/संस्थान की तरफ से नही दिये गये है।

दिनांक :–

(हस्ताक्षर निविदा दाता)
मय पद/हैसियत व मोहर सहित।

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम,सी.बी.एस आगार,जयपुर।

निगम की बसों के मार्ग के मध्य यात्रियों को जलपान एवम् सुलभ सुविधायें उपलब्ध करवाने हेतु

(यह प्रपत्र अहस्तानतरणीय है तथा जिसके पक्ष में यह जारी किया गया जावें,
उसी के प्रयोजनार्थ हैं)

निविदा–प्रपत्र

निविदा प्रपत्र संख्याः– एफ/मु.प्र./ /20 /

दिनांक :–

निविदा प्रपत्र की राशि जमा रूपयें :– 200 रू./–

अक्षरे :– दौ सौ रूपये मात्र

नकद/रसीद संख्या :–

दिनांक :–

मुख्य प्रबन्धक सी.बी.एस आगार

01	फर्म/व्यक्ति का नाम व पूर्ण पता		:–	
02	टेलीफोन नम्बर/मोबाइल नं.			
		कार्यालय	:–	
		निवास	:–	
03	टेलेक्स/फैक्स नम्बर		:–	
04	व्यावसायिक अनुभव व उसका विवरण		:–	
05	धरोहर राशि		:–	
06	धरोहर राशि का निगम कोष में राशि जमा रसीद संख्या/ड्राफ्ट/बैकर्स चैक नम्बर		:–	
	दिनांक		:–	
07	अनुबन्ध ढ़ाबा का स्थान साईड		:–	
08	प्रति परिचक्र,प्रति बस कूपन दर वाहन ठहराव हेतु		:–	
09	निगम से पूर्व में वाहनों के ठहराव हेतु अनुबन्ध किया हो तो उसका पूर्ण विवरण		:–	
10	निविदादाता का जिस बैंक में खाता है उसका नाम		:–	
	बैक में खाता नम्बर			
11	निविदादाता की चल व अचल सम्पत्ति का विवरण सत्यापित प्रति सहित		:–	
12	अन्य आवश्यक विवरणः– पहचान पत्र, पेन नम्बर, एवम् एक फोटो निविदा–प्रपत्र के साथ संलग्न करनी है। इसके बिना टेन्डर फार्म स्वीकर नहीं किया जावेगा।		:–	

हस्ताक्षर निविदादाता
मय पद/हैसियत/मोहर सहित

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर

निविदा शर्तें

निगम की बसों के मार्ग में यात्रियों को जलपान व सुलभ सुविधाएं उपलब्ध करवाने हेतु निविदा की शर्तें निम्न प्रकार हैंः–

1. यह अनुबन्ध प्रथमतः पांच वर्ष के लिये होगा। जिसके ठहराव शुल्क में प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की चक्रवृत्ति दर से वृद्वि की जाएगी।
2. अनुबंधित ढाबा/रेस्टोरेन्ट स्वामी द्वारा महिला एवं पुरूषों के लिये अलग–अलग अच्छे किस्म के प्रसाधान/सुलभ सुविधा उपलब्ध करायेगा।
3. अनुबंधित ढाबा/रेस्टोरेन्ट स्वामी द्वारा निगम वाहनों के पार्किंग हेतु उचित स्थल उपलब्ध करायेगा।
4. अनुबंधित ढाबा/रेस्टोरेन्ट स्वामी द्वारा यात्रियों के बैठने की पर्याप्त एवं समुचित व्यवस्था उपलब्ध करायेगा एंव उसके कर्मचारी यात्रियों से मधुर भाषा में व्यवहार करेगें एंव शालीनता पूर्वक सेवा करने को तत्पर रहेगें ।
5. अनुबंधित ढाबा/रेस्टोरेन्ट स्वामी द्वारा यात्रियों को स्वच्छ एवं निःशुल्क पेय जल सुविधा उपलब्ध करायेगा।
6. अनुबंधित ढाबा/रेस्टोरेन्ट स्वामी द्वारा यात्रियों एवं उनके सामान व निगम बस की पूर्ण सुरक्षा की सुविधा उपलब्ध करायेगा।
7. अनुबंधित ढाबा/रेस्टोरेन्ट पर सी.सी.टी.वी. कैमरे लगे होने चाहिए जिनकी रिकार्डिग एक माह तक सुरक्षित रखनी होगी।
8. अनुबंधित ढाबा/रेस्टोरेन्ट पर आगारीय कमेटी द्वारा अनुमादित मूल्य सूची (बडे अक्षरो में) लगवानी होगी जो सदैव कैमरे की नजर में रहनी चाहिये।
9. अनुबंधित ढाबा/रेस्टोरेन्ट स्वामी द्वारा निगम की ठहरने वाली वाहनों की पंजिका भी दैनिक संधारित करेगा।
10. अनुबन्धित ढ़ाबा/रेस्टोरेन्ट स्वामी को निविदा पत्र के साथ धरोहर राशि 5,000 रू (अक्षरे पांच हजार रूप्ए मात्र) का बैक ड्राफ्ट/बैकर्स चैक/नकद जमा की रसीद संलग्न करनी होगी। निविदादाता को कार्य आदेश जारी करने की दिनांक से दस दिवस के अन्दर 20000/50,000 रू. अक्षरेः–बीस हजार/ पचास हजार रूपए मात्र सुरक्षा राशि (आगारीय कमेटी के निर्णयानुसार) डी.डी. /बैक ड्राफ्ट/बैकर्स चैक/नकद निगम कोष में जमा जमा करानी होगी। उक्त घरोहर एवम् सुरक्षा राशि बिना ब्याज के अनुबन्ध समाप्ति के एक माह बाद तक निगम कोष में जमा रहेगी। निविदादाता द्वारा कार्य आदेश जारी दिनांक के दस दिवस के अन्दर आवंटित व्यवसाय प्रारम्भ नहीं करने पर निगम, निविदादाता की जमा धरोहर एवम् सुरक्षा राशि जब्त कर जारी कार्य आदेश रद्द कर दिया जावेगा व क्रमशः द्वितीय, तृतीय उच्चतम निविदादाता को कार्य आदेश जारी कर दिया जावेगा अथवा पुनः निविदा आमंत्रित कर कार्य आदेश जारी किया जा सकेगा।
11. अनुबंधित ढाबा/रेस्टोरेन्ट स्वामी को निगम द्वारा समय– समय पर जारी आदेशों एंव निविदा शर्तों की पालना करनी होगी । अनुबंधित ढाबा/रेस्टोरेन्ट द्वारा आदेशों एंव निविदा की शर्तों का उल्लघंन करने पर निगम को जमा धरोहर एवं सुरक्षा राशि जब्त करने व एक माह का नोटिस देते हुए कार्य आदेश निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा, जिसके लिए अनुबंधित ढाबा/रेस्टोरेन्ट स्वामी उत्तरदायी होगा।
12. किसी यात्री द्वारा अनुबंधित ढाबा/रेस्टोरेन्ट के विरूद्व शिकायत करने पर निगम द्वारा शिकायत की जाचं करने एवं शिकायत के सही पाये जाने की स्थिति में प्रथम शिकायत पर 1000/– रूपये व द्वितीय शिकायत पर 5000/– रूपये शास्ति करने का अधिकार होगा। इसके बाद शिकायत प्राप्त होने पर धरोहर राशि एवं सुरक्षा राशि जब्त कर अनुबन्ध को तुरन्त प्रभाव से निरस्त कर दिया जावेगा।
13. अनुबंधित ढाबा/रेस्टोरेन्ट स्वामी द्वारा यदि किसी यात्री से अधिक राशि लिये जाने /कोई हानि होने पर की गई शिकायत के लिये यदि किसी न्यायालय द्वारा कोई भी राशि अनुबंधित होटल–ढाबा स्वामी के विरूद्व निर्धारित कर शिकायतकर्ता को दिये जाने के निर्देश दिये जाते हैं तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी अनुबंधित ढाबा/रेस्टोरेन्ट स्वामी की होगी।
14. अनुबंधित ढाबा/रेस्टोरेन्ट पर निगम की वाहन का ठहराव समय 15 मिनट का होगा।
15. अनुबन्ध ढ़ाबा रेस्टोरेन्ट स्वामी निगम की प्रत्येक वाहन के रूकने पर निर्धारित क्रम संख्या वाला हस्ताक्षरयुक्त कूपन जारी कर परिचालक को देगा। वाहन के रूकने पर अनुबन्धित ढ़ाबा/रेस्टोरेन्ट स्वामी द्वारा परिचालक को कूपन जारी नहीं करने पर प्रति वाहन 500 रूपए निगम कोष में जमा कराने होगे।
16. अनुबंधित ढाबा/रेस्टोरेन्ट स्वामी को अपने होटल ढाबे पर साफ–सफाई का पूर्ण ध्यान रखना होगा।
17. अनुबंधित ढाबा/रेस्टोरेन्ट स्वामी को ढाबा/रेस्टोरेन्ट 24 घन्टे संचालित करना होगा। होटल/ढाबा बन्द रहने की शिकायत प्राप्त होने पर निगम द्वारा अनुबंधित ढाबा/रेस्टोरेन्ट स्वामी के विरूद्व 1000/– रूपये प्रतिदिन शास्ती वसूल की जावेगी।
18. अनुबंधित ढाबा/रेस्टोरेन्ट स्वामी को यह व्यवसाय एक वर्ष तक चालू रखना अनिवार्य होगा। यदि अनुबंधित ढाबा/रेस्टोरेन्ट स्वामी एक वर्ष से पूर्व व्यवसाय बन्द करता है तो उसकी जमा धरोहर व सुरक्षा राशि जब्त कर ली जावेगी। एक वर्ष की अवधि के पश्चात यदि अनुबंधित ढाबा/रेस्टोरेन्ट स्वामी अपना यह व्यवसाय चालू नहीं रखना चाहे तो उसे कम से कम तीन माह पूर्व इसकी सूचना निगम को प्रस्तुत करनी होगी। अनुबंधित ढाबा/रेस्टोरेन्ट स्वामी द्वारा तीन माह का नोटिस दिये बिना यह व्यवसाय समाप्त करने पर उसकी पूर्व मे जमा धरोहर व सुरक्षा राशि प्रथम पक्ष द्वारा जब्त करली जावेगी।

19. अनुबंधित ढाबा/रेस्टोरेन्ट स्वामी के क्रियान्वयन शर्तों एंव अनुबन्ध के निर्विचन के सम्बन्ध में दोनो पक्षों के बीच यदि किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न हो जाता है तो मामले के निपटारे के लिए निगम के अध्यक्ष/अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक एकमात्र पंच निर्णायक होगें जिनका निर्णय अंतिम व दोनों पक्षों को मान्य होगा। कोई भी पक्ष मामले/विवाद को पंच निर्णय के लिये प्रस्तुत किये बिना एंव उस पर निर्णय/पंचाट पारित हुए बिना कोई वाद किसी भी न्यायालय में नहीं ले जा सकेगें। उक्त दोनों पक्ष यह जानते हैं कि अध्यक्ष निगम के अधिकारी हैं एंव उनको ही एकल पंच निर्णायक के लिये सहमति व्यक्त करते हैं। पंच निर्णायक/न्यायालय का कार्यक्षेत्र/कार्यस्थल जयपुर होगा।
20. निगम द्वारा अनुबंधित ढाबा/रेस्टोरेन्ट स्वामी को जारी किये जाने वाले कोई नोटिस उसके द्वारा दिये गये पते पर प्रेषित कर दिया जाता है अथवा रजिस्टर्ड डाक द्वारा भिजवा दिया जाता है तो उनकी तामिल पूर्ण समझी जावेगी।
21. अनुबंधित ढाबा/रेस्टोरेन्ट स्वामी अपने ढाबा/रेस्टोरेन्ट पर किसी भी प्रकार की नशीली वस्तुओं को जैसे शराब,बीयर,अफीम,गांजा,चरस आदि न तो रखेगा और न ही बेचेगा तथा न ही वह स्वयं एवं उसके कर्मचारी किसी नशीले पदार्थ का सेवन करेगें।
22. अनुबंधित ढाबा/रेस्टोरेन्ट स्वामी ठहराव शुल्क के अलावा निर्धारित दर से सेवाकर (वर्तमान मे 15 प्रतिशत) का भुगतान करना होगा। इसके अतिरिक्त देय समस्त करों को जो किसी सरकारी विभाग अथवा स्थानीय निकाय को देय हो आदि का भुगतान नियमानुसार समय पर करेगा ।लाईसेंस अथवा परमिट लेने की आवश्यकता होने पर वह स्वयं की जिम्मेदारी पर देय फीस का भुगतान कर प्राप्त करेगा ।
23. अनुबंधित ढाबा/रेस्टोरेन्ट स्वामी के विरुद्व किसी भी तरह की राशि बकाया रहने की स्थिति में निगम द्वारा उसका लाईसेंस नवीनीकरण नहीं किया जावेगा तथा बकाया राशि की वसूली उसकी जमा धरोहर व सुरक्षा राशि में से समायोजन करने के विरूद्व अनुबंधित ढाबा/रेस्टोरेन्ट स्वामी न्यायालय में कोई विवाद नहीं ले जा सकेगा व समायोजित धरोहर/सुरक्षा राशि को अनुबंधित ढाबा/रेस्टोरेन्ट स्वामी द्वारा पुनः 15 दिवस में निगम कोष में जमा कराना होगा। ऐसा नही करने पर अनुबंधित ढाबा/रेस्टोरेन्ट स्वामी का कार्यादेश निरस्त कर शेष जमा धरोहर एवं सुरक्षा राशि जब्त कर ली जावेगी।
24. यात्रियों की सुविधा को मध्यनजर रखते हुए निगम को पूर्ण अधिकार होगा कि वह इस अनुबंधित ढाबा/रेस्टोरेन्ट स्वामी के अतिरिक्त उसी स्थान पर अन्य ढाबा/रेस्टोरेन्ट स्वामी से अनुबन्ध कर सकेगा। इस ढाबा/रेस्टोरेन्ट स्वामी को इस बारे में किसी तरह का एतरात उठाने का कोई अधिकार नहीं होगा ।
25. जिस साईड में निगम बसें रूकती हैं, उसी साईड में प्रस्तावित ढाबा/रेस्टोरेन्ट स्थित होना चाहिये।
26. ढाबा/रेस्टोरेन्ट स्वामी को स्थित ढाबा/रेस्टोरेन्ट पर राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम से अनुबंधित है का एक बोर्ड लगाना होगा। जिसे अनुबन्ध निरस्त/समाप्ति की स्थिति में तुरन्त हटाना होगा।
27. यदि निविदादाता के निविदा प्रस्ताव स्वीकार कर लिए जाते हैं तो निविदादाता को लाईसेंस प्राप्त करने से पूर्व निम्नलिखित प्रपत्र मुख्य प्रबन्धक के कार्यालय में प्रस्तुत करने होगें :–
    a. निविदादाता के नाम पर जो चल एंव अचल संपत्ति है उनके प्रपत्रों की प्रमाणित छाया प्रति अथवा स्वयं के नाम पर कोई चल एंव अचल संपत्ति नहीं है तो उसके गारंटर की चल एंव अचल सम्पत्ति के प्रपत्रों की प्रमाणित फोटो प्रति ।
    b. निविदादाता के नाम पते के दस्तावेज की प्रमाणित प्रति। (पुष्टि में मतदाता परिचय पत्र/वर्तमान ड्राईविगं लाईसेंस/राशनकार्ड/पैन कार्ड/इनकम टेक्स रिटर्न की प्रमाणित प्रति)।
    c. निविदादाता अथवा निविदादाता के गारंटर को 100 रूपयें के भारतीय गैर न्यायायिक स्टाम्प पर यह शपथ पत्र भी देना होगा कि जब तक वह निगम का लाईसेंसी रहेगा तब तक बिना निगम अनुमति वह अपनी चल एवं अचल संम्पत्ति का विक्रय नहीं करेगा। यह शपथ पत्र नोटेरी पब्लिक ओथोरिटी द्वारा सत्यापित होगा।
28. निविदा प्रस्ताव सीलबन्द लिफाफे में प्रेषित किये जावेगें ।
29. निविदा प्रस्ताव सरल एंव शुद्व भाषा में होगें तथा किसी प्रकार की कांट–छांट न हो। प्रस्ताव पर संस्थान के मालिक, अधिकृत व्यक्ति के स्पष्ट हस्ताक्षर होने चाहिये तथा यह भी स्पष्ट किया जाना चाहिये कि हस्ताक्षरकर्ता मालिक है या पार्टनर/अधिकृत व्यक्ति अपना पद व हैसियत भी लिखें ।
30. निविदादाता द्वारा दिये गये कोई भी सशर्त प्रस्ताव निगम द्वारा स्वीकार नहीं होगें ।
31. यदि किसी संस्थान/व्यक्ति/फर्म के विरूद्व निगम की राशि बकाया/वाद विचाराधीन है तो उसके प्रस्ताव को अस्वीकार करने का अधिकार निगम को होगा ।
32. संलग्न घोषणा पत्रको भरकर निविदा प्रस्ताव प्रपत्र के साथ संलग्न करें।
33. मैने उपरोक्त शर्तों को पढकर ,समझकर,सुनकर मैने हस्ताक्षर किये हैं। उक्त शर्ते मुझे स्वीकार हैं ।

निविदादाता के हस्ताक्षर
(शर्तो की स्वीकृति हित)

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम

कार्यालय मुख्य प्रबन्धक, केन्द्रीय बस स्टैण्ड,जयपुर।

घोषणा–पत्र

निविदादाता द्वारा इस घोषणा पत्र को भरकर हस्ताक्षर किया जाना अनिवार्य है।

1. मैं/हम निगम कोष में जमा रसीद संख्या/डी.डी.संख्या/ बैकर्स चैक संख्या .... दिनांक .... राशि .... रूपये .... जो कि CM CBS JAIPUR के नाम देय है, संलग्न कर रहे है/कर दिया है।
2. मै/हमने निगम की समस्त शर्तो को सावधानीपूर्वक पढ़ लिया/सुन लिया है तथा इन सभी शर्तों की पालना करने का वचन देता हूँ/देते है। हमारा प्रस्ताव निगम द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है तो मैं/हम निगम के साथ लाईसेन्सी आधार पर अनुबन्ध पर हस्ताक्षर कर दूंगी/देगें।
3. मैं/हम घोषणा करता/करते है कि मैने/हमने जो प्रस्ताव किये है उसमें किसी अन्य संस्थान का कोई सरोकार नहीं है तथा यह प्रस्ताव किसी अन्य व्यक्ति/संस्थान की तरफ से नही दिये गये है।

दिनांक :–

(हस्ताक्षर निविदा दाता)
मय पद/हैसियत व मोहर सहित।

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम,सी.बी.एस आगार,जयपुर।

(यह प्रपत्र अहस्तानतरणीय है तथा जिसके पक्ष में यह जारी किया गया जावें, उसी के प्रयोजनार्थ हैं)

केन्द्रीय बस स्टैण्ड जयपुर पर शौचालय/मुत्रालय हेतु
अस्थाई रूप से लाईसेन्सधारी नियुक्त करने के सम्बन्ध में।

निविदा–प्रपत्र

निविदा प्रपत्र संख्याः– एफ/मु.प्र./ /20 /
दिनांक :–

निविदा प्रपत्र हेतु राशि जमा रूपयें :– 200 रू./–
अक्षरे :– दौ सौ रूपये मात्र
नकद/रसीद संख्या :–
दिनांक :–

मुख्य प्रबन्धक सी.बी.एस आगार

01	फर्म/व्यक्ति का नाम व पूर्ण पता		:–	
02	टेलीफोन नम्बर/मोबाइल नं.			
		कार्यालय	:–	
		निवास	:–	
03	टेलेक्स/फैक्स नम्बर		:–	
04	व्यावसायिक अनुभव व उसका विवरण		:–	
05	धरोहर राशि		:–	
06	धरोहर राशि का निगम कोष में राशि जमा रसीद संख्या/ड्राफ्ट/बैकर्स चैक नम्बर		:–	
	दिनांक		:–	
07	देय लाईसेंस शुल्क राशि रूपये			
		राशि प्रतिमाह रूपये	:–	
		शब्दों में	:–	
08	निगम में अन्य स्टैण्ड पर पूर्व में स्टाल/बूथ का आवंटन हुआ है तो उसका पूर्ण विवरण।			
09	निविदादाता का जिस बैंक में खाता है उसका नाम बैक में खाता नम्बर		:–	
010	निविदादाता की चल व अचल सम्पत्ति का विवरण सत्यापित प्रति सहित		:–	
11	अन्य आवश्यक विवरणः– पहचान पत्र, पेन नम्बर, एवम् एक फोटो खुली निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करनी है। इसके बिना फार्म स्वीकर नहीं किया जावेगा।		:–	

हस्ताक्षर निविदादाता
मय पद/हैसियत/मोहर सहित

निविदा–प्रपत्र

निविदा प्रपत्र संख्याः– एफ/मु.प्र./ /20 /
दिनांक :–

निविदा हेतु शुल्क :– 200 रू./– दौ सौ रूपये मात्र
निविदा हेतु दिनांक :– ....
निविदा हेतु फार्म प्राप्ति समय :– 14.00 बजे तक
निविदा खोलने का समय :– 15.00 बजे।

केन्दीय बस स्टैण्ड,जयपुर के प्लेटफार्म नम्बर 03 पर शौचालय/मुत्रालय की साफ–सफाई एवम् रखरखाव कार्य की निविदा की शर्तें निम्न प्रकार से है :–

1. शौचालयों/मूत्रालयों के साफ–सफाई एवम् रख–रखाव कार्य की अनुबन्ध अवधि प्रथम बार एक वर्ष व अधिकतम 5 वर्षों की होगी।
2. अनुबन्ध की शर्तो का उल्लंधन होने पर कभी भी अनुबन्ध समाप्त किया जा सकता है।
3. सुलभ कॉम्पलेक्स में उपलब्ध स्थान पर लाईसेन्सी को स्वयं के व्यय पर दो पृथक से महिला मुत्रालय (यूरेनल पॉट) की व्यवस्था करवानी होगी। जिस पर महिला मुत्रालय निःशुल्क लिखवाना अनिवार्य होगा। उक्त कार्य में होने वाले किसी भी प्रकार के व्यय का पुर्नभरण निगम द्वारा नहीं किया जावेगा।
4. शौचालयों/मुत्रालयों की साफ–सफाई, रख–रखाव के अतिरिक्त आवश्यकतानुसार मरम्मत का कार्य लाईसेन्सी द्वारा स्वयं के खर्चे पर किया जायेगा। शौचालयों/मुत्रालयों धरों की साफ–सफाई 24 घन्टे स्वंय के खर्चे पर ठेकेदार को करनी होगी। अनुबन्ध समाप्ति के पश्चात् कार्य परिषद उसी स्थिति में निगम को वापिस संभलवायेगा जिस स्थिति में निगम द्वारा कार्य प्रारम्भ करते समय लाईसेन्सी को कार्य हेतु अधिकृत किया था अन्यथा इस सम्बन्ध में होने वाले व्यय की वसूली लाईसेन्सी से की जावेगी।
5. शौचालयों उपयोगकर्ता यात्रियों से जनरल शौचालय घर पॉंच रूपये, स्नान घर का पॉंच रूपये तथा स्पेशल शौचालय घर (शौचालय+स्नान) का दस रूपये वसूल किया जा सकेगा। मूत्रालय का उपयोग निःशुल्क होगा। इस सम्बन्ध में आवश्यक सूचना सम्बन्धित स्थान पर प्रदर्शित करने की जिम्मेदारी लाईसेन्सी (द्वितीय पक्ष) की होगी निर्धारित दर मोटे–मोटे अक्षरों में बोर्ड या दीवार पर लिखवानी होगी ताकि सभी को स्पष्ट रूप से दिखाई दे सके।
6. शौचालय/मूत्रालय परिसर के अन्दर से सीवर लाईन तक जुड़ने से पूर्व की ड्रेनों की साफ'सफाई का दायित्व लाईसेन्सी का होगा।
7. यात्रियों के हाथ धोने के लिए साबुन की निःशुल्क व्यवस्था लाईसेन्सी को करनी होगी।
8. सफाई हेतु फिनायल, वांशिग पाउडर, पौचा, डस्टर, तैजाब, साबुन, सोडा आदि सामग्री की व्यवस्था लाईसेन्सी को करनी होगी।
9. शौचालय/मुत्रालयों की सुविधाएं यात्रियों को 24 घन्टे उपलब्ध करवानी होगी।
10. लाईसेन्सधारी स्वयं के खर्चे पर सम्बन्धित विभाग से बिजली कनेक्शन प्राप्त करेगा व उसका भुगतान सम्बन्धित विभाग को करेगा। अनुबन्ध समाप्त होने पर आगारीय समिति सम्बन्धित विभाग को कनेक्शन बन्द के लिए सूचित करेगी।
11. शौचालय/मुत्रालयों के लिए पानी की व्यवस्था निगम (प्रथम पक्ष)करेगा, लेकिन अपरिहार्य कारणों से निगम द्वारा इनकी प्रदायगी न कर पाने की स्थिति में लाईसेन्सी (द्वितीय पक्ष) को स्वयं के खर्चे पर वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी। लाईसेन्सी को यह सुनिश्चित करना होगा कि पानी का दुरूपयोग नही होवे अन्यथा आगारीय समिति द्वारा शास्ति आरोपित की जा सकती है।
12. इन स्थानों की दीवारों पर चिपकाये जाने वाले पोस्टर/स्टीकरों, नारों आदि को लाईसेन्सी अविलम्ब हटायेगा/साफ करायेगा।
13. प्रथम पक्ष निगम के सक्षम अधिकारी द्वारा निरीक्षण के दौरान अथवा अन्य माध्यम से दिये गये आदेशों की पालना द्वितीय पक्ष को करनी होगी।
14. द्वितीय पक्ष लाईसेन्सी के किसी भी कर्मचारी को किसी भी स्थिति में कोई भुगतान क्षतिपूर्ति आदि प्रथम पक्ष राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा देय नहीं होगा।
15. शौचालय/मुत्रालयों की सफाई, कीटनाशक औषधियों से एक सप्ताह में कम से कम दो बार लाईसेन्सी को आवश्यक रूप से करानी होगी।

16. शौचालय/मुत्रालयों पर कार्य करते समय यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है या कर्मचारी अपंग हो जाता है तो उन्हे मुआवजा आदि देने की तथा अन्य समस्त जिम्मेदारी/भार लाईसेन्सी का होगा निगम की इस सम्बन्ध में कोई जिम्मेवारी नहीं होगी साथ ही लाईसेन्सी के कार्य कलापों से यदि किसी तृतीय पक्ष को असुविधा/हानि होती है तो इसकी क्षतिपूर्ति का दायित्व उक्त लाईसेन्सी का ही होगा। निगम की इस सम्बन्ध में कोई जिम्मेवारी नही होगी।
17. अनुबन्ध की अवधि में यदि संस्था के सफाई कर्मियों द्वारा हड़ताल की जाती है तो निगम द्वारा शौचालय/मुत्रालयों की साफ–सफाई, रखरखाव के कार्य पर जो भी व्यय होगा वह लाईसेन्सी से वसूल किया जायेगा किन्तु लाईसेन्स फीस में छूट देय नहीं होगी।
18. शौचालयों/मुत्रालयों की साफ–सफाई हेतु पानी एकत्रित करने की टंकियों की सफाई प्रत्येक माह में कम से कम दो बार लाईसेन्सी को करनी होगी।
19. लाईसेन्सी के सफाई कार्य का निरीक्षण करने के लिए आगारीय कमेटी या उनके द्वारा दिये गये निर्देश/निर्णय की पालना करने के लिए लाईसेन्सी बाध्य होगा शौचालय/मुत्रालयों घरों की साफ–सफाई व रखरखाव सन्तोषजनक है अथवा नहीं यह निर्णय करने का अधिकार मुख्य प्रबन्धक सी.बी.एस आगार जयपुर को होगा।
20. अनुबन्ध की अवधि में यदि किसी भी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उक्त विवाद पर पंच निर्णय के रूप में निगम के अध्यक्ष को निर्णय का अन्तिम अधिकार होगा जो दोनों पक्षों को मान्य होगा।
21. निर्धारित लाईसेन्स राशि प्रतिदिन निगम कोष में जमा करानी होगी पाँच दिवस तक राशि जमा नही कराने पर 100 रूपए प्रतिदिन की दर से शास्ती देय होगी। किन्तु सात दिवस से अधिक देरी पर लाईसेन्सी फीस शास्ती के जमा नहीं होने की अवस्था में लाईसेन्स निरस्त कर दिया जावेगा एवं सुरक्षा राशि जब्त कर ली जावेगी।
22. सुरक्षा राशि के रूप में एक माह की लाईसेन्स फीस के बराबर राशि डी.डी/ड्राफ्ट/बैकर्स चैक मुख्य प्रबन्धक सी.बी.एस कार्यालय में जमा करानी होगी। इस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। प्रस्ताव स्वीकार होने के तीन दिवस के भीतर ही सुरक्षा राशि जमा कराने के अलावा अनुबन्ध पत्र भरकर प्रस्तुत कर कार्य प्रारम्भ करना होगा।
23. प्राप्त दरों की स्वीकृति/अस्वीकृत करने का तथा दर दाताओं के प्रस्ताव को निरस्त करने का सम्पूर्ण अधिकार आगारीय समिति के पास सुरक्षित रहेगा।
24. भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर प्रस्तावित जी.एस.टी. का भुगतान लाईसेन्सी को लाईसेन्स फीस के अतिरिक्त लाईसेन्स फीस के साथ प्रतिदिन निगम कोष में जमा कराना होगा।
25. लाईसेन्सी द्वारा स्वैच्छा से यदि कार्य छोड़ा जाता है तो कार्य छोड़ने की दिनांक से तीन माह पूर्व कार्यालय मे प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करना होगा अन्यथा उसके द्वारा जमा कराई गई धरोहर राशि/सुरक्षा राशि निगम हित में जब्त कर ली जावेगी।
26. लाईसेन्सी द्वारा सुविधा उपभोगकर्त्ता से निगम द्वारा निर्धारित शौचालय स्नानघर शुल्क की ही वसुली की जावेगी यदि इससे अधिक राशि वसूल करने की प्राप्त शिकायत सही पायी जाती है तो 500 रूपए प्रति प्रकरण के हिसाब से शास्ती राशि वसूल की जावेगी बार–बार शिकायत प्राप्त होने पर एवम् सत्यापित होने पर अनुबन्ध समाप्ति के साथ सुरक्षा राशि जब्ती कार्यवाही की जा सकेगी।
27. निविदा प्रपत्र के साथ धरोहर राशि 20,000/– नकद या बैक ड्राफ्ट जो कि मुख्य प्रबन्धक सी.बी.एस आगार,जयपुर के नाम हो संलग्न करनी होगी। निविदादाता को निविदा में पैन नम्बर व आधार नम्बर देना आवश्यक होगा।
28. घोषणा–पत्र जो संलग्न किया हुआ है पूर्ण भरकर प्रस्तुत करना होगा।
29. प्रस्ताव स्वीकृति के पश्चात् तीन दिवस में निविदादाता की 100/– रू. व 20/–रू. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर अनुबन्ध पत्र प्रस्तुत करना होगा।
30. यदि निविदादाता के निविदा प्रस्ताव स्वीकार कर लिये जाते है तो निविदादाता को लाईसेन्स प्राप्त करने से पूर्व निम्नलिखित प्रपत्र मुख्य प्रबन्धक के कार्यालय में प्रस्तुत करने होगे :–
    1. निविदादाता के नाम पर जो भी चल–अचल सम्पत्ति है उनके प्रपत्रों की प्रमाणित छाया–प्रति अथवा स्वयं के नाम पर कोई चल व अचल सम्पत्ति नहीं है तो उसके गारन्टर की चल व अचल सम्पत्ति के प्रपत्रों की प्रमाणित छाया–प्रति।

2. निविदादाता के नाम पते के दस्तावेज की प्रमाणित प्रति (पुष्टि में मतदाता परिचय–पत्र / वर्तमान ड्राईविंग लाईसेन्स की प्रति / पैन कार्ड, इनकम टैक्स रिटर्न की प्रमाणित छाया–प्रति)
3. निविदादाता अथवा निविदादाता के गारन्टर को 100 / –रू. के भारतीय गैर न्यायायिक स्टाम्प पर यह शपथ पत्र भी देना होगा कि जब तक वह निगम का लाईसेन्सी रहेगा तब तक वह बिना निगम अनुमति के यह अपनी चल–अचल सम्पत्ति का विक्रय नहीं करेगा।

31. निविदा–प्रस्ताव सीलबन्द लिफाफे में प्रेषित किये जावेगें।
32. निविदा–प्रस्ताव सरल एवम् शुद्ध भाषा में होगें तथा किसी प्रकार की काट–छाट ना हो प्रस्ताव पर संस्था के मालिक / अधिकृत व्यक्ति के स्पष्ट हस्ताक्षरी होने चाहिए तथा यह भी स्पष्ट किया जाना चाहिये कि हस्ताक्षरकर्ता मालिक है या पार्टनर / अधिकृत व्यक्ति अपना पद व हैसियत भी लिखे।
33. निविदादाता द्वारा दिये गये कोई भी सशर्त प्रस्ताव निगम द्वारा स्वीकार नहीं होगें।
34. यदि किसी भी संस्थान / व्यक्ति फर्म के विरूद्ध निगम की राशि बकाया / विचाराधीन है तो उसके प्रस्ताव को अस्वीकार करने का अधिकार निगम को होगा।
35. केन्द्र / राज्य सरकार के कर्मचारी, केन्द्र एवम् राज्य सरकार के उपक्रमों के कर्मचारियों एवम् राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के कर्मचारी एवम् उनके आश्रित पारिवारिक सदस्यों को लाईसेन्स आवंटित नहीं किया जा सकेगा।
36. निगम परिसर में आवंटित शौचालय, मुत्रालय को कभी भी 24 घन्टे का लिखित नोटिस देकर स्थान खाली करवाये जाने का निगम को पूर्ण अधिकार होगा। इसके लिए लाईसेन्सी को किसी भी न्यायालय में किसी भी प्रकार का वाद दायर करने का अधिकार नहीं होगा।
37. मैने उपरोक्त शर्तों को भलीभांति पढ़कर, समझकर, सुनकर बिना दबाव के हस्ताक्षर किये है उक्त शर्ते मुझे पूर्णतया स्वीकार है।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम

कार्यालय मुख्य प्रबन्धक, केन्द्रीय बस स्टैण्ड,जयपुर।

घोषणा–पत्र

निविदादाता द्वारा इस घोषणा पत्र को भरकर हस्ताक्षर किया जाना अनिवार्य है।

1. मैं/हम निगम कोष में जमा रसीद संख्या/डी.डी.संख्या/ बैकर्स चैक संख्या .... दिनांक .... राशि .... रूपये .... जो कि C.M.RSRTC CBS JAIPUR के नाम देय है, संलग्न कर रहे है/कर दिया है।
2. मै/हमने निगम की समस्त शर्तो को सावधानीपूर्वक पढ़ लिया/सुन लिया है तथा इन सभी शर्तों की पालना करने का वचन देता हूँ/देते है। हमारा प्रस्ताव निगम द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है तो मैं/हम निगम के साथ लाईसेन्सी आधार पर अनुबन्ध पर हस्ताक्षर कर दूंगी/देगें।
3. मैं/हम घोषणा करता/करते है कि मैने/हमने जो प्रस्ताव किये है उसमें किसी अन्य संस्थान का कोई सरोकार नहीं है तथा यह प्रस्ताव किसी अन्य व्यक्ति/संस्थान की तरफ से नही दिये गये है।

दिनांक :–

(हस्ताक्षर निविदा दाता)
मय पद/हैसियत व मोहर सहित।